

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा

प्रा० पत्र स्थानांतरण 52/2017 रामकेश vs कर्दैया नौसरा

12-1-18



आधिकारिता प्रार्थी उपस्थित। आधिकारिता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराप में विचारणीय प्रकरण रामकेश बनाम कर्दैया नौसरा के आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती शोमाली कुशवाहा का स्थानांतरण हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज करमाया जावे। अतः आधिकारिता प्रार्थी के अनुरोध एवं तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराप का स्थानांतरण हो जाने से प्रार्थना पत्र स्थानांतरण सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। निवेदन की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराप को भिजवायी जावे। पत्रावली फेराल सुमार दोन नम्बर में कम है एवं पुनिष्ठ लेख गठार है। निवेदन का दिनांक 12-1-18 को मुझे न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

1000

[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]